मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः16.12.2025

थाना अहरौरा पुलिस द्वारा गो-तस्करी के अभियोग में वांछित चल रहें ₹ 20-20 हजार के इनामियाँ 02 गो-तस्कर गिरफ्तार —

“सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने तथा अपराध की रोकथाम एवं इनामियाँ/पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी ऑपरेशन के नेतृत्व में थाना अहरौरा पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। ज्ञातव्य हो कि दिनांकः13.12.2025 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा जंगल के रास्ते वध हेतु ले जाए जा रहे 21 राशि गोवंशो को बरामद करते हुए एक गो-तस्कर संदीप उर्फ मुन्ना राय को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था जबकि दो गो-तस्कर भौतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। उक्त के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-287/2025 धारा 109 बीएनएस, 3/25 आयुध अधिनियम व 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा मौके से फरार शातिर गो-तस्करों की गिरफ्तारी हेतु ₹ 20-20 हजार के इनाम की घोषणा की गयी थी। आज दिनांकः16.12.2025 को थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा प्राप्त मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग में फरार चल रहें ₹ 20-20 हजार के इनामियाँ वांछित अभियुक्त 1.मुनेश्वर विश्वकर्मा पुत्र फेका विश्वकर्मा निवासी भोजपुर पड़ाव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली(हालपता-स्माइलपुर थाना चैनपुर जनपद भभुआ बिहार) व 2.सचाऊ बिन्द पुत्र बौडम निवासी सरिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर(हालपता-मेड़रिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर) को अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत भक्शी नदी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। थाना अहरौरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार उपरोक्त इनामियाँ अभियुक्तों के विरूद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1.मुनेश्वर विश्वकर्मा पुत्र फेका विश्वकर्मा निवासी भोजपुर पड़ाव थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली(हालपता-स्माइलपुर थाना चैनपुर जनपद भभुआ बिहार), उम्र करीब-55 वर्ष।

2.सचाऊ बिन्द पुत्र बौडम निवासी सरिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर(हालपता-मेड़रिया थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर), उम्र करीब-39 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-287/2025 धारा 109 बीएनएस, 3/25 आयुध अधिनियम, 3/5ए/8 गोवध व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय—

भक्शी नदी मोड़ के पास से, आज दिनांकः16.12.2025 को समय 11:44 बजे।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम—

उप-निरीक्षक सुनील कुमार, कृष्ण कुमार सिंह, रामदरश यादव व श्यामलाल यादव, थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।
मुख्य आरक्षी शशिप्रताप सिंह, आशीष कुमार राय, नरेन्द्र सिंह, रामदुलार यादव, अमरेश प्रताप व चन्दन कुमार।

****